

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला-भीलवाडा

पीठसीन अधिकारी:-रामावतार (आर0ए0एस0)

वार्ड नं० ५ आमलीगढ

मुकदमा संख्या:- 2/18

- 1- सत्यनारायण, अरुलाल, रामेश्वर, श्यामलाल पिता भागीरथ
- 2- जामला, सन्तोष, समतापुत्री भागीरथ खादमछ) शर्म) रूपालि

--प्रार्थीगण

Disposed
2018
05091

- 1- अरुलाल पिता जामला खाद बनाम नि. रूपालिष)
- 2- भगवतीलाल पिता - - शर्म - -
- 3- माधु पिता जामला खाद
- 4 भवरी / अम्बालाल
- 5 जाललाल पिता हान्दा
- 6 भगवतीलाल पिता अरुलाल

--विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:- 24.5.18

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रूपालिया पटवार हल्का आमलीगढ तहसील हमीरगढ व जिला भीलवाडा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 426/1, 431, 432, 433, 476/1, 479, 481/1, 481/3, 482, 658/2 कुल किता 10 रकबा 10 बीघा 00 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थता पत्र इस न्यायालय में दिनांक 24.5.18 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिंधदान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम रूपालिया पटवार ह0 आमलीगढ तहसील हमीरगढ व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 426/1, 431, 432, 433, 476/1, 479, 481/1, 481/3, 482, 658/2 कुल किता 10 रकबा 10 बीघा 00 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक मंगरप को 1000/-रु0 (अक्षरे- एक हजार रूपया)

कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।


पीठासीन उपखण्ड अधिकारी


लोक अदालत हमीरगढ़

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर

हमीरगढ़

प्रतिलिपि:— तहसीलदार, हमीरगढ़ को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।


पीठासीन अधिकारी

लोक उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर

हमीरगढ़